कार्यालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)

क्रमांक/171/तीन ए/वित्त/2/2018 टीकमगढ़ दिनांक 13/7/2018

निविदा आमंत्रण

म.प्र.शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक/एफ/03-20/2013/सात/ /शा-5 भोपाल दिनांक 10 जुलाई 2013 एवं पत्र क्रमांक दिनांक 04.03.2014 के अनुसार कार्यालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के अन्तर्गत वर्ष 2018-2019 अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़, निवाड़ी, बल्देवगढ़, जतारा व तहसीलदार टीकमगढ़, बल्देवगढ़, लिधौरा, पलेरा, जतारा, पृथ्वीपुर, निवाड़ी, ओरछा, मोहनगढ़ एवं अतिरिक्त तहसीलदार बड़ागांव हेतु नवीन महिन्द्रा बुलेरो या उसके समकक्ष वाहन की मासिक किराये की दर पर आवश्यकता है। जिन्हें वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी द्वारा किराये के वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु विहित शर्तो का पालन करते हुये निविदाऐं दिनांक 17.8.18 को अपरान्ह 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं निविदा दिनांक 17.8.18 को अपरान्ह सायं 04.00 बजे अपर कलेक्टर कक्ष में इस हेतु गठित चयन समिति एवं निविदा दाताओं के समक्ष खोली जावेंगी। निविदा के नियम, विहित शर्ते एवं निविदा प्रपत्र www.tikamgarh.nic.in से Download किया जा सकता है।

कलेक्टर

जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)

पृ0क्रमांक/171/तीन ए/वित्त/2/2018 टीकमगढ़ दिनांक 13/7/2018

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल।
2. कमिश्नर सागर संभाग, सागर।
3. संचालक, जनसम्पर्क विज्ञापन शाखा, बाणगंगा म.प्र. भोपाल की ओर उक्त विज्ञापन राज्यस्तर के तीन संस्करण में प्रकाशित कराया जाकर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।
4. डी.आई.ओ., एन.आई.सी. टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि./वि.यां. जिला टीकमगढ़।
6. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सागर/जिला परिवहन अधिकारी टीकमगढ़।
7. सहायक संचालक, जनसम्पर्क टीकमगढ़।
8. प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कार्यालय टीकमगढ़।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) समस्त जिला टीकमगढ़।
10. तहसीलदार समस्त जिला टीकमगढ़/जिला नजारत को ओर सूचना पटल पर चस्पा हेतु एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर

जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)

निविदा प्रपत्र

कार्यालय में निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि ..../..../...... प्रातः 11.00 बजे से दिनांक.............. को सांय 03.00 बजे तक (निविदा खोलने की तिथि.............. सांय 04.00 बजे कलेक्टर कार्यालय टीकमगढ़)।

1. आवेदन/प्रो० का नाम ....
2. फर्म/ऐजेन्सी का नाम ....
3. फर्म/ऐजेन्सी का पता ....
4. प्रो०/फर्म/ऐजेन्सी कार्यालय का मो०/दूरभाष नम्बर ....
5. फर्म/ऐजेन्सी का पंजीयन वैद्धता विवरण एवं दिनांक व उस कार्यालय का नाम जहां उसका बैधानिक पंजीयन है. ....
6. पंजीयन किस दिनांक तक बैध है ....
7. निविदाकार के कारोबार में वार्षिक चलित राशि का विवरण ....
8. किसी विधिक सक्षम न्यायालय में एजेन्सी निविदाकार के विरूद्ध कोई दावा लंबित है यदि हां तो पूर्ण विवरण दें ....
9. निविदा के साथ प्रतिभूति के रूप में जमा कराई गई राशि का बैंक ड्रॉफ्ट/एफ.डी.आर. विवरण..

स.क्र.	वाहन का नाम	तहसील का नाम	वाहन का पंजीयन क्रमांक/दिनांक	प्रतिमाह के मान से डीजल सहित किराया न्यूनतम दूरी(1000कि.मी) तक	प्रतिमाह के मान से डीजल रहित किराया राशि

दिनांक-..................

स्थान-.....................

हस्ताक्षर आवेदक

नाम/सील.....................

वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी हेतु सामान्य शर्ते (वर्ष 2018-2019)

1. वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी का एक वर्ष में 10(दस) लाख का टर्न ओवर होना एवं नियमानुसार सेवाकर/आयकर भुगतान किया जाना आवश्यक है एवं शासन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले टैक्स का भुगतान फर्म द्वारा किया जावेगा।
2. वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन का टैक्सी परमिट म.प्र. के किसी भी जिले में परिवहन विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। बगैर टैक्सी परमिट वाहन मान्य नहीं किये जायेंगे, और न ही किराया भुगतान किया जावेगा।
3. फर्म/ऐजेन्सी/संस्था का परिवहन विभाग मे पंजीकृत होना अनिवार्य है एवं लाइसैंन्स संलग्न करना होगा।
4. वाहन प्रदाता को वाहन से संबंधित, बीमा, फिटनेस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, ड्राईवर का वैद्ध लाइसेंस(कमर्शियल/हैवी) इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखने होंगे। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी उसके लिये पूर्ण जिम्मेदार होगी।
5. वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी द्वारा वाहन चालक का चरित्र सत्यापन संबंधित थाने से अनुबंध के साथ प्रस्तुत करना होगा।
6. उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी म.प्र. के किसी भी जिले मे परिवहन विभाग मे वाहन टैक्सी कोटे मे पंजीकृत होना चाहिए।
7. वाहन का मॉडल एक वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिए।
8. वाहन पर नियुक्त ड्राईवर का वेतन, वाहन का मेंटीनेंस, सर्विस टैक्स, कॉमर्शियल परमिट आदि का व्यय वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी को स्वयं वहन करना होगा एवं भुगतान की गई राशि पर शासन के नियमानुसार आयकर जमा कर रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
9. वाहन में उपयोग किये जाने पर डीजल का मांप न्यूनतम 12 कि.मी./लीटर एवं अधिकतम गाडी के ऐवरेज अनुसार देना होगा।
10. वाहन में हुई किसी तकनीकी खराबी के कारण यदि आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग करने मे बाधा आती है, तो वाहन प्रदाता को अन्य वाहन की व्यवस्था तत्काल करनी होगी।
11. वाहन के मुख्यालय पर या मुख्यालय से बाहर उपयोग मे न्यूनतम दूरी का कोई बंधन नही रहेगा एवं वाहन प्रभारी अधिकारी के नियंत्रण मे रहेगा।
12. मार्ग मे वाहन खराब होने की स्थिति मे वाहन के खराब होने के स्थान से गैरेज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा। 2 घंण्टे मे सुधार कराकर उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना होगा। 2 घंण्टे से अधिक वाहन खराब रहने पर उस दिन का किराया नही दिया जावेगा।
13. वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन को किसी भी कारण से अनुबंधित वाहन मे बदला जाता है या परिवर्तित किया जाता है, तब उसकी जानकारी इस कार्यालय मे देना अनिवार्य होगी, बिना सूचना दिये वाहन बदलने पर वाहन किराया भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी द्वारा सुरक्षा निधि के रूप मे धरोहर राशि रुपयें 25000/-(पच्चीस हजार रुपयें) की कलेक्टर टीकमगढ के नाम से एफ.डी. जो निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगी, अनुबंध समाप्ति पश्चात धरोहर की राशि वाहन प्रदाता को वापिस योग्य होगी।
15. वाहनों की स्थिति व रख रखाव उत्तम श्रेणी का हो आवश्यकता अनुरूप सीट कवर आदि प्रदान करना होगा।

16. वाहन के संबंध मे किसी प्रकार का विवाद होने पर इसके निराकरण का उत्तर दायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं वाहन के उपयोग के फलस्वरूप यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति किसी न्यायालय द्वारा आदेशित की जाती है जो उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी की होगी।

17. अनुबंध मे एक साल के पूर्व कभी भी प्रदायकर्ता द्वारा वाहन वापस करने पर डिपोजिट राशि एवं एक माह का किराया वसूल किया जावेगा।

18. वाहन को किराये पर प्रदाय करने के आदेश इस कार्यालय से जारी होने के पश्चात 10 दिनों के अंदर वाहन प्रदाता को 100/-रुपयें के स्टॉम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा एवं सामान्य शर्ते स्टॉम्प पर अंकित कर पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

19 आपके द्वारा शर्त का पालन न किये जाने एवं वाहन प्रभारी अधिकारी द्वारा आपत्ति व्यक्त किये जाने पर फर्म/वाहन प्रदाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

20. किसी विवाद की स्थिति मे कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के द्वारा पारित निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा।

21 वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी द्वारा वाहन के देयक प्रतिमाह संबंधित अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। प्रतिमाह देयक प्रस्तुत न किये जाने एवं आवण्टन उपलब्ध न होने की दशा मे भुगतान के बिलम्ब के लिये कार्यालय जिम्मेवार नही होगा। ऐसी स्थिति मे न्यायालय मे चुनौती मान्य नही की जावेगी।

22. वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाये जाने पर स्वयं जिम्मेवार होंगे। कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा की गयी कार्यवाही ही मान्य की जावेग।

23. वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी का कार्यालय टीकमगढ़ मुख्यालय पर स्थित होना अनिवार्य है।

प्रोपराईटर के हस्ताक्षर/फर्म की मुहर

प्रोपराईटर का नामः-..

प्रोपराईटर का स्थाई पताः-..

प्रोपराईटर का मो.नम्बरः-...

फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी की कार्यालय पता/दूरभाषः-......................

....